web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 29 नवंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 61

महत्वपूर्ण एवं खास

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का शंखनाद, वृंदावन में अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद में जुटे साधु संत

मथुरा (आरएनएस)। मथुरा के वृंदावन में अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के साधु संत शामिल हो रहे हैं। धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन मुक्त कराकर भव्य मंदिर बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। धर्म संसद का आयोजन केशव धाम परिसर में स्थित सभागार में किया जा रहा है। इस अवसर पर साधु संत महामंडलेश्वर धर्माचार्य भागवत आचार्य ने कहा कि अब हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदुओं की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। धर्म संसद में मौजूद संतों ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मुस्लिम पक्ष को अवैध निर्माण खुद हटा लेना चाहिए। इसके अलावा देश में जनसंख्या कानून लागू होना आवश्यक है। सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद के केस के वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि राम मंदिर आंदोलन की रणनीति और अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले दिग्गज व महारथी संत-महात्मा अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंच चुके हैं, जिन संतों को राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की जो रूप रेखा तय की थी, उनकी ही मौजदूगी में श्री कृष्ण जन्म भूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण की नीति बनाई जाएगी।

आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टालरेंस पालिसी, जम्मू में होगी एनएसजी की तैनाती

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अपनाए हुए हैं। इस नीति की अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की एक विशेष टास्क फोर्स को जम्मू में तैनात करने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर आतंकवाद निरोधी इकाई बल शहर में तैनात किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि एनएसजी का विशेष कार्य बल जम्मू शहर में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा ताकि वे किसी भी आपात स्थिति या आतंकवादी हमले की स्थिति में किसी भी स्थान पर पहुंच सकें। एनएसजी कमांडो की तैनाती जम्मू-कश्मीर पुलिस की आतंक-विरोधी योजना का हिस्सा है। यह योजना मुख्य रूप से ऊंची इमारतों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य संवेदनशील स्थलों को आतंकी हमलों से बचाने के लिए बनाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकियों के लिए शहर में प्रवेश करना अब बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि मल्टी-लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दुनिया की एक तिहाई आबादी मारी जाएगी, तीसरे विश्वयुद्ध पर इस भविष्यवाणी ने डराया

कैनबरा । ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक जाने-माने बिशप मैर मैरी इमैनुअल ने एक भयावह भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि तीसरा विश्व युद्ध अपरिहार्य है और यह मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। बिशप इमैनुअल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होगा। इस युद्ध में दुनिया की एक तिहाई आबादी मारी जाएगी और बाकी बचे लोग भी जीवन भर इस त्रासदी से जूझेंगे। बिशप ने कहा, हम जल्द ही आसमान में रॉकेट उड़ते हुए देखेंगे। मानव जाति के लिए कोई उमीद नहीं है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जल्दी ही देखने को मिल सकता है। ये दुनिया के लिए तबाही बनकर आएगा। उन्होंने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है, ना कि संभाल कर रखने या उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। बिशप इमैनुअल की यह भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है और परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने भी परमाणु हमले से बचने के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है। बिशप की चेतावनी ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग बिशप की भविष्यवाणी को गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अतिशयोक्ति मान रहे हैं।

झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ, चौथी बार ली सीएम पद की शपथ

रांची । आरएनएस

झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ली। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के सामाजिक न्याय, एकता और संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज का दिन ऐतिहासिक होगा – एक ऐसा दिन जो हमारे सामूहिक संघर्ष, प्रेम-भाईचारे की भावना और न्याय के प्रति हम झारखंडियों के प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। झारखंड की महान धरा ने हमेशा से विरोध और संघर्ष को जन्म दिया है और झामुमो भगवान बिरसा, भगवान सिदो-कान्हू, अमर शहीद तेलंगा खडिया, फूलो- झानो, पोटो हो, शेख भिखारी समेत अनगिनत वीरों के संघर्षों से भरी उसी विरासत को है।आज का यह दिन यह भी बताता है कि लोकतंत्र पर बढ़ते दबाव के बीच झारखंड की महान जनता एक साथ खड़ी है। आज हर गांव, हर शहर में एक आवाज़ गूंज रहा है – अधिकार, समानता, एकता मतलब झारखंडियत की आवाज़। इसमें कोई संदेह न रखें – हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें न विभाजित किया जा सकता है, न ही शांत किया जा सकता समेटे हर दिन आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि आज का दिन राजनीतिक जीत के बारे में नहीं, सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष, सामाजिक एकता को प्रखर करने की हर रोज़ लड़ी जानी वाली लड़ाई को दोहराने का दिन है। जब जब वे हमें पीछे धकेलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जब जब वे हमें शांत करना चाहते हैं, हमारी हूल, उलगुलान, क्रांति की आवाज और प्रखर होती जाती है क्यूंकि हम झारखंडी हैं, और झारखंडी झुकते नहीं है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा था, आज जब सामाजिक संरचना में गहरी दरारें पैदा हो रही हैं, तब हमें अपने पूर्वजों की उस एकता और हर झारखंडी को साथ लेकर चलने के संकल्प को पुन: दोहराना होगा। उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि हमारी लड़ाई अटल है, अविराम है। संघर्ष जारी है और आखिरी सांस तक रहेगा। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। इसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन को 56 सीटें हासिल हुई हैं। झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, राजद को चार और भाकपा माले को दो सीटों पर जीत मिली है।

संविधान की प्रति हाथ में लेकर प्रियंका गांधी ने लोकसभा सदस्य के रूप में ली शपथ

नई दिल्ली । आरएनएस

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद चुनी गई हैं। 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली है। इसी के साथ वर्तमान संसद की कार्यवाही में गांधी-नेहरू परिवार की तीन सदस्य शामिल होंगे।

शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्य निष्ठा से यह शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। सांसद पद की शपथ लेने के प्रियंका गांधी के हाथ में भारतीय संविधान की एक कॉपी थी। यह पल प्रियंका गांधी के लिए एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि वह पहली बार लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ ले रही हैं।

बता दें कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 4,10,931 वोटों के भारी अंतर से हराया है। प्रियंका गांधी को 6,22,338 और सत्यन मोकेरी को 2,11,407 वोट मिले हैं। वहीं, भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास 1,09,939 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

मानव तस्करी मामले में एनआईए की बड़ी कार्यवाई, 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली । आरएनएस

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मानव तस्करी मामले में 6 राज्यों के 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है। विदेशी हाथ होने के शक में एनआईए ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक 6 राज्यों में यह छापेमारी चल रही है और कई देशों से इसके अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े हुए है। 2024 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मामला दर्ज किया था।

साइबर फ्रॉड मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। साइबर फ्रॉड के जरिए बिहार गोपालगंज के युवाओं को विदेश में नौकरी देने के नाम पर लुभाया गया फिर जब वो विदेश गए तो उन्हे फर्जी काल सेंटर में बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड का काम करवाया गया। वहीं म्यांमार लाओस से इस रैकेट के तार जुड़े होने की आशंका है।

इससे पहले, एनआईए ने 5 अक्टूबर को 5 राज्यों के 22 ठिकानों पर आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग के शक में एक साथ छापेमारी की थी। एनआईए की ओर से यह छापेमारी महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में छापेमारी की गई थी। यह कार्रवाई आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मामलों को लेकर की गई थी। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में बारामूला और अन्य क्षेत्रों में भी छापेमारी की थी। बारामूला में मौलवी इकबाल भट के घर पर एनआईए ने सुरक्षा बलों की मदद से तलाशी ली थी।

1 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी की गई थी। 1 अक्टूबर को एनआईए की टीम ने दक्षिण 24 परगना, आसनसोल, हावड़ा, नदिया और कोलकाता में 11 जगहों पर छापेमारी की थी।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सरकार सख्त, लाखों सिम और फर्जी आईडी ब्लॉक

नई दिल्ली । आरएनएस

देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम बढ़ने के बीच सरकार ने स्कैमर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए हैं।

गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि डिजिटल अरेस्ट और दूसरे साइबर अपराधों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

गृह मंत्रालय ने देश में सभी तरह के साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर' (आई4सी) की स्थापना की है।

फाइनेंशियल फ्रॉड की तत्काल रिपोर्टिंग और साइबर अपराधियों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत 'सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' की शुरुआत 2021 में की गई थी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3,431 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने फर्जी भारतीय नंबर से आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है।

कुमार ने कहा, हाल ही में फर्जी डिजिटल अरेस्ट, फेडएक्स स्कैम, सरकारी और पुलिस अधिकारियों के रूप में कॉल आदि के मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय नकली कॉल की गई हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस तरह की आने वाली अंतरराष्ट्रीय नकली कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

आई4सी में एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, टीएसपी, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से साइबर अपराधियों की पहचान करने वालों की एक संदिग्ध रजिस्ट्री भी शुरू की है।

सरकार ने 'रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट' नाम से एक नए फीचर की भी शुरुआत की है, जो नागरिकों को 'सस्पेक्ट सर्च' के जरिए साइबर अपराधियों की पहचान करने वालों के संग्रह को खोजने का ऑप्शन देता है।

श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और केस

'लिव-इन पार्टनर' की हत्या कर शव के 50 टुकड़े किए, ऐसे हुआ खुलासा

रांची । आरएनएस

झारखंड के खूंटी जिले से हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कसाई का काम करने वाले एक युवक ने अपनी 'लिव-इन पार्टनर' की हत्या कर के उसके शव को 40 से 50 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को एक आवारा कुत्ते के पास मानव शरीर के अंग मिले। पुलिस ने बुधवार को इस पूरे हत्याकांड के बारे में जानकारी दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की इस घटना ने लोगों का दिल दहला कर रख दिया है।

दूसरी महिला से कर ली थी शादी- पुलिस के मुताबिक खूंटी जिले का 25 वर्षीय युवक नरेश भेंगरा अपने ही शहर की एक 24 साल की लडक़ी के साथ बीते कुछ समय से तमिलनाडु में 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रह रहा था। हालांकि, कुछ समय पहले वह घर आया और बिना बताए दूसरी महिला से शादी कर ली। इसके बाद वह बिना पत्नी के ही वापस तमिलनाडु चला गया। इसके कुछ समय बाद युवक-युवती वापस खूंटी पहुंचे लेकिन आरोपी नरेश युवती को अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। इसी समय 8 नवंबर को उसने इस जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया।

पहले दुष्कर्म फिर हत्या

पुलिस के मुताबिक, युवती को ये बात नहीं पता थी कि आरोपी नरेश ने शादी कर ली है। नरेश और युवती पहले रांची पहुंचे और फिर नरेश के गांव के लिए रवाना हुए। पुलिस ने बताया- योजना के तहत नरेश महिला को अपने घर के पास ऑटोरिक्शा में खूंटी ले गया और उसे इंतजार करने के लिये कहा। वह धारदार हथियार लेकर लौटा और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव के 40 से 50 टुकड़े किए और पत्नी के साथ रहने के लिए घर चला गया।

चिकन काटने में माहिर था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी तमिलनाडु राज्य में एक कसाई की दुकान में काम करता था और चिकन काटने में माहिर था। आरोपी ने पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल लिया है। उसने युवती के शरीर के अंगों को 40 से 50 टुकड़ों में काटने के बाद उन्हें जंगल में जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने जंगल में एक बैग भी बरामद किया है जिसमें युवती के आधार कार्ड समेत अन्य सामान मिले हैं। युवती की मां को मौके पर बुलाया गया और उसने अपनी बेटी के सामान की पहचान की है।

राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाई ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर छापेमारी

❐ अवैध परिवहन का मामला

उदयपुर । आरएनएस

राजस्थान सहित तीन राज्यों में आज सुबह इनकम टैक्स विभाग ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों के 23 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, गुजरात और मुंबई में की जा रही है।जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र और उदयपुर की प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट कंपनी गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक पर आयकर विभाग की टीमें सुबह 5.30 बजे से दस्तावेज़ों की जांच में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि यह फर्म टीकम सिंह राव की है, और इस पर सामान (गुड्स) के अवैध परिवहन का आरोप है।

आयकर विभाग को मुखबिर से मिली शिकायत के आधार पर पूरी जांच कर सत्यापन किया गया। इसके बाद आईटी की अन्वेषण शाखा ने यह रेड शुरू की।

तीन राज्यों में छापेमारी में राजस्थान के जयपुर में एक, उदयपुर में 16, बांसवाड़ा में तीन, गुजरात में दो व मुंबई में एक स्थान पर कार्रवाई की जा रही है।

टीमें न केवल कंपनी के कार्यालयों में, बल्कि जिम्मेदार लोगों के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अधिकारियों ने सभी दस्तावेज़ों की जांच शुरू कर दी है ताकि अवैध लेन-देन और परिवहन से जुड़े तथ्यों को उजागर किया जा सके।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई अवैध गुड्स ट्रांसपोर्ट से जुड़े बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकती है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। यह कार्रवाई राजस्थान में आयकर विभाग की एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की उम्मीद है।

लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सलमान रहमान खान को रेड नोटिस के जरिए रवांडा से भारत लाया गया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो के ग्लोबल ऑपरेशन्स सेंटर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो - किगाली (रवांडा) के साथ समन्वय करके आतंकवाद से जुड़े मामलों में वांछित सलमान रहमान खान को भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सलमान को 28 नवंबर 2024 को एनआईए की सुरक्षा टीम द्वारा रवांडा से भारत लाया गया। एनआई ने सलमान रहमान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उस पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य होने, आतंकवाद को समर्थन देने, और हथियार एवं विस्फोटक उपलब्ध कराने का आरोप है। यह मामला बेंगलुरु शहर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार और विस्फोटक सामग्री पहुंचाने से संबंधित है। इस मामले में हेब्बल पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में 149/2023 भी दर्ज की गई थी। सीबीआई ने एनआई के अनुरोध पर 2 अगस्त 2024 को सलमान के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराया। यह नोटिस दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया, जिससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो - किगाली की मदद से सलमान को रवांडा में ट्रैक किया गया और उसे भारत लाया गया।

बुधो पुंदेर गांव में वक्फ बोर्ड जमीन मामले में नया मोड़, ग्राम पंचायत सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील

जालंधर । आरएनएस

पंजाब के कपूरथला जिले के बुधो पुंदेर गांव की वक्फ बोर्ड जमीन मामले में ग्राम पंचायत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत का आरोप है कि इस भूमि पर उनका अधिकार है और वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। अब ग्राम पंचायत इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

इस मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के दावे को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि मस्जिद, कब्रिस्तान और टाकिया (मुसलमानों के सामान्य उपयोग के लिए भूमि) के लिए दान की गई थी, और बाद में 1971 में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। न्यायालय ने इस भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया और ग्राम पंचायत की दलीलों को खारिज कर दिया।

ग्राम पंचायत के सदस्य रेशम सिंह ने कहा कि इस भूमि पर पिछले 40-50 सालों से गांव के लोग खेती कर रहे हैं और उन्होंने इस भूमि पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि इसे जमींदारों ने वक्फ बोर्ड से छुड़वाया था। रेशम सिंह ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और मस्जिद मुसलमानों की है, लेकिन भूमि पर जो कब्जा है, वह जमींदारों ने जानबूझकर किया हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

ग्राम पंचायत के सरपंच कुलवंत सिंह ने भी इस फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि गांव में स्थित मस्जिद और गुरुद्वारा दोनों ही खुले हैं, लेकिन मस्जिद में आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया है। वहीं, गुरुद्वारे में संगत दर्शन के लिए आती है। सरपंच ने बताया कि यह भूमि करीब 16 से 17 एकड़ में फैली हुई है, और इस पर पिछले 15-20 सालों से मुकदमा चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जमीन नगर पंचायत की है और उसी की रहेगी। सरपंच ने बताया कि मस्जिद 1947 से पहले बनी हुई थी, जबकि गुरुद्वारा मस्जिद की जगह पर नहीं, बल्कि उससे अलग एक एकड़ में बनाया गया है।

इस मामले में न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। ग्राम पंचायत ने वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत गठित न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। पंचायत ने तर्क दिया था कि पंजाब अधिनियम, 1953 के तहत इस संपत्ति पर उनका अधिकार बनता है, जो वक्फ अधिनियम, 1995 से प्राथमिकता रखता है। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और माना कि यह मामला भूमि के वर्गीकरण का है, न कि विभिन्न कानूनों की प्राथमिकता का।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक अभिलेखों में इस भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसे मस्जिद, कब्रिस्तान और टाकिया के रूप में पहचान दी गई है। खंडपीठ ने वक्फ अधिनियम के तहत इस भूमि के स्वामित्व का निर्धारण किया और कहा कि यह भूमि धार्मिक उद्देश्यों के लिए है, न कि निजी इस्तेमाल के लिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पंजाब अधिनियम, 1953 की संवैधानिक सुरक्षा, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालती है।